



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 6 अगस्त, 2014

श्रावण 15, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-13

संख्या 414/एक-13-2014-7क(8)-2014

लखनऊ, 6 अगस्त, 2014

अधिसूचना

विविध

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) की धारा 43 की समधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश की संबंधित तहसील के यथास्थिति सहायक कलेक्टर या उप कलेक्टर को उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर "पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक" के रूप में नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,  
के० एस० अटोरिया,  
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 414/I-13-2014-7ka(8)-2014, dated August 6, 2014:

No. 414/I-13-2014-7ka(8)-2014

Dated Lucknow, August 6, 2014

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013), the Governor is pleased to appoint all Assistant Collectors or Deputy Collectors as the case may be of the concern Tehsil of Uttar Pradesh as "Administrator for Rehabilitation and Resettlement" within their respective territorial jurisdiction.

By order,  
K. S. ATORIA,  
Pranukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 230 राजपत्र (हि०) 2014 (632)-588 प्रतिया (कम्प्यूटर/टी०/ऑफ़ीस)।  
पी०एस०यू०पी० ए०पी० 3 सा० राजपत्र 2014 (633)-1000 प्रतिया (कम्प्यूटर/टी०/ऑफ़ीस)।